कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 1058/पुखरायाँ–घाटमपुर–बिंदकी मार्ग/17826/2016, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 17, 2016

सेवा में,

1–मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

2–वन संरक्षक,
इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद।

विषय : पुखरायाँ–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी0 0.00 से 21.000 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षों के पातन, कानपुर नगर में किमी0 22.000 से 54.000 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर में किमी0 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 6743 वृक्षों के पातन **कुल 75.5235 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल का पत्रांक–1693/14–1, दिनांक 02.11.2016

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रभागीय निदेशक, कानपुर नगर की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर संस्तुति अंकित नहीं है।

2– प्रभागीय निदेशक, फतेहपुर की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर संस्तुति अंकित नहीं है।

3– कानपुर देहात के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं पृष्ठ–213 पर संलग्न सूची के अनुसार 2026 वृक्षों का पातन होना है, जबकि ऑनलाइन पार्ट–2 में 31 व्यासवर्ग से ऊपर के 2016 वृक्षों का विवरण ही अंकित है जो विसंगतिपूर्ण है। स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित करें।

4– कानपुर नगर के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में बाधक वृक्षों का उल्लेख अंकित नहीं है, किन्तु पृष्ठ–259 पर संलग्न सूची एवं ऑनलाइन पार्ट–2 के अनुसार 31 व्यासवर्ग से ऊपर के बाधक 2889 वृक्षों का विवरण अंकित है। स्थिति स्पष्ट करते हुए संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट को संशोधित करें।

5– कानपुर नगर के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में अनुमानित बृद्धि का समावेश नहीं किया गया है। संलग्न करें।

6– फतेहपुर का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। 10 वर्षो के अनुरक्षण एवं अनुमानित बृद्धि का समावेश करते हुए विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

7– तीनों प्रभागों की क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।

8– तीनों प्रभागों की प्रस्तावित वनभूमि की एन.पी.वी. की गणना त्रुटिपूर्ण दर पर संलग्न है। ईको क्लास के अनुसार संशोधित गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

9– मक डिस्पोजल योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में संलग्न नहीं है।

10– मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवशेष संरक्षित वनभूमि की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

11– मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि पर रोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

12– ऑनलाइन पार्ट–2 पर सम्बन्धित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक की संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

13– ऑनलाइन पार्ट–1 में बी–2.4 में कम्पोनेन्ट की सुसंगत सूचना अंकित नहीं है।

14– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु ई–2 की सूचना त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। क्या परियोजना हेतु 100 नये पद सृजित होंगे, स्पष्ट सूचना अंकित करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त अभिलेखों को आनलाइन भी अपलोड करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1058 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, कानपुर देहात, कानपुर नगर एवं फतेहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, (तकनीकी) उ0प्र0राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक, को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

18/11/16

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।